अपील डिक्री / टी.ए. / 6060 / 2003 / सवाई माधोपुर

कल्याण बनाम बद्री आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थिति :–

श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

दिनांक : 19 नवम्बर, 2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–9–2003 के प्रस्तुत की गयी है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी के समक्ष अपीलार्थी ने एक दावा बाबत घोषणा, खातेदारी इन्द्राज इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा इमबा–383 जिसके वर्तमान इमबा–904 रकबा 14 ऐयर, 905 रकबा 59 ऐयर, 906 रकबा 44 ऐयर कायम किये हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 ने साज करके भू प्रबन्ध अधिकारी से बिना क्षेत्राधिकार से खसरा इमबा–906 में से कब्जे के आधार पर 22 ऐयर रकबा अपीलार्थी की खातेदारी में से कम करके दिनांक 5–5–1988 को रेस्पोन्डेन्ट के नाम खातेदारी में लगा दिया। जिसकी दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी का वाद अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी के समक्ष पेश किया। जिसे परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 31–10–2002 को अनुचित रूप से खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील को भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–2003 को अनुचित एवं अवैध रूप से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री एवं आदेश के भू प्रबन्ध अधिकारियों को पर्चे के आधार पर खातेदारी कम कर बदलने का कोई अधिकार नहीं है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, गंगापुरसिटी ने अपने क्षेत्राधिकारविहिन आदेश दिनांक 5-8-1988 के द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी में से 22 ऐयर रकबा कम करके रेस्पोन्डेन्ट के नाम कब्जा के आधार पर दर्ज कर दिया, वह क्षेत्राधिकार के बाहर है। प्रारम्भतः शून्य आदेश को दावे के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। वादग्रस्त भूमि खसरा इमबा-906 की सम्पूर्ण भूमि पर अपीलार्थी एकीकरण के पूर्ण से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री उप खण्ड अधिकारी, गंगापुरसिटी दिनांक 31-10-2002 तथा निर्णय एवं डिक्री राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर दिनांक 24-9-2003 निरस्त की जाकर वाद वादी अपीलार्थी डिक्री किया जावे। न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी ने अपने निर्णय दिनांक 31-10-2002 में यह माना है कि नकल जमाबन्दी प्रदर्श-7 के अनुसार साबिक खसरा संख्या-383 का रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा था जिसके बदले वादीगण नवीन रकबे में 90 ऐयर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 1 के अनुसार साबिक खसरा इमबा-383 से नया इमबा-904 रकबा 14 ऐयर, 905 रकबा 59 ऐयर, 906 रकबा 44 ऐयर बने हैं। खसरा इमबा-906 में साबिक खसरा संख्या-385 का एक बीघा 14 बिस्वा रकबा शामिल है। नामान्तरकरण संख्या-50 दिनांक 15-3-1989 द्वारा खसरा संख्या-906 का 22 ऐयर रकबा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर उसका बटा संख्या-906/2 डाला गया है। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या-383 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा के मुकाबले वादीगण के नाम खसरा संख्या-904 रकबा 14 ऐयर, 905 रकबा 59 ऐयर, 906/1 रकबा 22 ऐयर कुल 95 रकबा रहता है। जो उनके साबिक रकबा से 5 ऐयर ज्यादा है। खसरा इमबा-905, 905, 906 का रकबा बरारी करने पर भी खसरा संख्या-906 का रकबा 44 ऐयर बैठता है। इस प्रकार खसरा संख्या-906 में साबिक खसरा इमबा-385	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की भूमि शामिल होना पाया जाता है जिससे नामान्करण संख्या–50 दिनांक 15–3–1989 प्रतिवादीगण के नाम लगा दिया गया है। वादीगण को उनके साबिक रकबा से वर्तमान में ज्यादा रकबा मौजूद है जिससे वे और रकबा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है। इस आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर के यहां किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 24–9–2003 में यह आदेशित किया है कि वादी अपीलान्ट के साबिक नम्बर 3 बीघा 12 बिस्वा से 90 ऐयर बनते हैं। इसके मुकाबले वादी अपीलान्ट के 95 ऐयर रकबा दर्ज किया जा चुका है, जो साबिक रकबा के मुकाबले 5 ऐयर ज्यादा है। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय दिनांक 5–8–1988 के अवलोकन से साबिक खसरा नम्बर–385 व 386 के सम्बन्ध में विवाद होने पर 906/1 व 90/2 नम्बर डाले जाकर पक्षकारान के कमी रकबे को दुरूस्त कर बराबर किया गया है। रिकार्ड के बाद एकीकरण भी हो चुका है तथा एकीकरण के पश्चात बन्दोबस्त भी किया जा चुका है। वादी अपीलान्ट इस आवंटन के आधार पर रिलिफ पाने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी फाईन्डिंस उचित एवं दस्तावेजात पर आधारित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31–10–2002 यथावत रखा जाता है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी की विवेचना नहीं की गयी है एवं उन पर निष्कर्ष भी नहीं दिये हैं। विचारण न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर तनकीवार विवेचन कर निष्कर्ष देने चाहिये। राजस्व अपील अधिकारी ने भी कोई तनकीवार विवेचना नहीं की गयी है। विचारण न्यायालय ने तो प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श भी नहीं डाले गये हैं जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाकर उनकी अपील को स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस के जवाब में बताया कि साबिक खसरा इमबा–383 का रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा था। नियमानुसार इन्हें 3 बीघा 12	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिस्वा रकबा ही मिल सकता है, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने भी ज्यादा रकबा दे दिया था जिससे कम कर दुरूस्त किया गया है। किसी भी स्थिति में इन्हें 3 बीघा 12 बिस्वा से ज्यादा भूमि नहीं दी जा सकती है, फिर भी इन्हें 5 ऐयर भूमि ज्यादा दी गयी है। तनकी नम्बर–1 की विवेचना कर उचित निष्कर्ष दे दिये गये हैं तो शेष तनकी की विवेचना करने की आवश्यकता ही नही है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। इन्हें अपना दावा दस्तावेजी सबूत के आधार पर साबित करना चाहियें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में **RBJ 2015 Page-290, RBJ 1996 Page-572, RRD 1974 Page-346, RRD 1975 Page-461, RRD 1987 Page-375, RRD 2007 (H.C.) Page-587, RRD 2009 Page-342, RRD 2008 (H.C. Page-357, RRD 2009 (H.C.) Page-221, RRD 2009 Page-276, RRD 2009 (H.C.) Page-423** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श–7 जमाबन्दी संवत 2031 से 2034 में साबिक खसरा नम्बर–383 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा मांगीलाल पुत्र फटटा जाति मीणा साकिन देह के नाम दर्ज है। इस खसरा के नया नम्बर–904, 905, 906 बनना बताया है, जो एक हेक्टेयर 17 ऐयर बनता है जबकि खसरा संख्या का रकबा 3 कम बनता है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय में अथवा अपीलीय न्यायालय में यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि जब उनके रिकार्ड में दर्ज रकबे से ज्यादा भूमि दे दी गयी है तो अब वह किस आधार पर और भूमि चाहते हैं। फर्द मौका ग्राम उडई खुर्द जो खसरा संख्या–906 के बारे में विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है उसमें भी यह अंकित है कि खसरा इमबा–906/1 व 906/2 मौके पर एक ही बना हुआ है तथा नक्शा ट्रेस में किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं की गयी हैं। सेटलमेन्ट विभाग ने रिकार्डेड खातेदार के रकबा को कम नही किया है और ना ही उसकी खातेदारी में परिवर्तन किया है, बल्कि ज्यादा दर्ज रकबे को सही किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जो रकबा कम किया गया है उससे अपीलान्ट के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निष्कर्ष दिये हैं वह विधिसम्मत है और बिना किसी आधार के अपील के माध्यम से इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(चिरंजी लाल दायमा)** **(वी. श्रीनिवास)** **सदस्य** **अध्यक्ष**	

अपील डिक्री / टी.ए. / 6060 / 2003 / सवाई माधोपुर

कल्याण बनाम बद्री आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए